सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपोल संख्याः 402/17 **निर्णय दिनांक :– 26.2.2018**

1. अलादीन पुत्र मीरण खॉ जाति मुसलमान निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 09–07–2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 09–07–2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन्र इ.गा. न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं वि यत्र नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 21 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 86/05 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09—07—2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट ने भूमि तस्दीक/सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सबूतों के अभाव में प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ही तमाम सबूत प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानेर राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—07—2010 के विरूद्व अपील दिनांक 2—11—17 को पेश की है। जो करीब 17 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 214—02—2008 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09—07—2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ भूमि तस्दीक/सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदन पत्र सबूतों के अभाव में आवेदन खारिज किया जाता है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 21 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर

86/05 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये है अतः अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के समक्ष वादगत् भूमि चक 21 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 86/05 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक/सद्भाविक कृषक का प्रमाण पत्र व निर्वाचन सूची आदि प्रस्तुत किये जाने अपरिहार्य थे। किसी भी व्यक्ति को भूमि का आवंटन इसी आधार पर किया जाता है कि वह सद्भाविक कृषक है अथवा नहीं? प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक सबूत अर्थात भूमि तस्दीक/सद्भाविक कृषक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि उक्त प्रमाण पत्र आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थन पत्र उक्त भूमि तस्दीक/सद्भाविक कृषक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

(4) चूंकि अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के विपरीत होने से अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 09—07—2010 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

^ डॉ0 राकेश कुमार शर्मा>
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर